भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1804

सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

विदेशी पर्यटकों का अंतर्वाह

1804. श्री निहाल चन्द चौहान:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी है और उक्त पर्यटकों के लिए भारतीय गंतव्यों का पसंदीदा विकल्प क्या है;

(ख) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आई है और यदि हां, तो पर्यटकों का अंतर्वाह बढ़ाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का देश में और अधिक पर्यटक स्थलों को विकसित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): वर्ष 2020 से 2022 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक यात्राओं (एफटीए) का विवरण निम्नानुसार हैः

	2020	2021	2022 (अ)
विदेशी पर्यटक यात्राएं (लाख में)	2.74	1.52	6.19

अः अनंतिम; आप्रवासन ब्यूरो

महामारी के दौरान भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन (एफटीए) में गिरावट आई है। तथापि, वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 305.4% की वृद्धि के साथ महत्वपूर्ण रूप से इज़ाफा हुआ है।

पर्यटन मंत्रालय पर्यटक यात्राओं पर गंतव्य-वार आंकड़े नहीं रखता है। तथापि, वर्ष 2019, 2020 और 2021 के दौरान राज्य-वार विदेशी पर्यटक यात्राओं (एफटीवी) का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों की आमद बढ़ाने के लिए निम्नानुसार कई कदम उठाए/पहलें शुरू की हैं:

i. देश में पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना शुरू की। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाते हुए, देश में स्थायी और जिम्मेदार गंतव्यों को विकसित करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी2.0) के रूप में स्वदेश दर्शन योजना को नया रूप दिया है।
ii. चिन्हित तीर्थ स्थलों के समेकित विकास के लिए तीर्थयात्रा जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद) योजना आरंभ की।
iii. 24x7 टोल फ्री बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन।
iv. 165 देशों के नागरिकों के लिए 5 उपश्रेणियों यथा ई-पर्यटक वीज़ा, ई-बिजनेस वीज़ा, ई-मेडिकल वीज़ा, ई-मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा तथा ई-सम्मेलन वीज़ा के लिए ई-वीज़ा की सुविधा प्रदान करना।
v. ई-वीज़ा का और अधिक उदारीकरण किया गया है और वीज़ा शुल्क में उल्लेखनीय कटौती की गई है।
vi. विशिष्ट अभिरुचि वाले पर्यटकों को आकर्षित करने और उन अनोखे उत्पादों के लिए पर्यटकों का बार-बार आगमन सुनिश्चित करने, जिनमें भारत को प्रतिस्पर्धी गंतव्यों की तुलना में बढ़त प्राप्त है, के उद्देश्य से 'निश पर्यटन' उत्पादों का संवर्धन और विकास किया है।
vii. मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल और वेबसाइट के माध्यम से इसके विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों सहित भारत को समग्र पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना
viii. बेहतर मानक सेवा प्रदान करने के लिए जनशक्ति के प्रशिक्षण और उन्नयन हेतु 'सेवाप्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण' (सीबीएसपी) योजना के तहत कार्यक्रमों का आयोजन।
ix. देश में एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहण/ट्रैकिंग हेतु नई पर्वत चोटियां खोली गई हैं।
x. पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए 1001 रु. से 7500 रु. प्रति रात्रि के टैरिफ वाले होटल के कमरों पर जीएसटी को घटाकर 12% और 7501 रु. से अधिक के टैरिफ वाले कमरों पर जीएसटी को 18% कर दिया गया।

xi. पर्यटन मंत्रालय की सिफारिश पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा आरसीएस उड़ान योजना के तहत चिह्नित एयर लाइनों को 59 पर्यटन रूट सौंपे गए हैं जिसके लिए पर्यटन मंत्रालय ने वीजीएफ (व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है । अद्यतन स्थिति के अनुसार इनमें से 51 रूटों पर प्रचालन शुरू हो गया है।

(ग): पर्यटन अवसंरचना का विकास और उन्हे चिन्हित करना मुख्य रूप से सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन' 'तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं अध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान' (प्रशाद) और 'केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता नामक अपनी चल रही योजनाओं के अंतर्गत देश मे पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केन्द्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। योजनाओं के तहत विकास हेतु परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केन्द्रीय एजेंसियों के परामर्श से की जाती है और निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रस्तुति, योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन और पहले जारी की गई निधियों के उपयोग की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

*****

अनुबंध

विदेशी पर्यटकों का अंतर्वाह के संबंध में दिनांक 13.02.2023 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. 1804 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में विवरण

वर्ष 2019, 2020 और 2021 के दौरान भारत में राज्य-वार विदेशी पर्यटक यात्राएं (एफटीवी)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2019	2020	2021
		एफटीवी	एफटीवी	एफटीवी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	16206	5412	1687
2	आंध्र प्रदेश	280356	67591	27551
3	अरुणाचल प्रदेश	7825	961	182
4	असम	26878	7285	536
5	बिहार	1093141	308080	1046
6	चंडीगढ़	44132	12218	5451
7	छत्तीसगढ	6817	2322	8
8	दादरा और नगर हवेली	1666	222	80
9	दमन और दीव	5703	1382	105
10	दिल्ली*	2983436	681230	100178
11	गोवा	937113	302751	22128
12	गुजरात	595607	210047	11319
13	हरियाणा	48046	17474	4578
14	हिमाचल प्रदेश	382876	42665	4932
15	जम्मू और कश्मीर	57920	5317	1650
16	झारखंड	176043	490	1637
17	कर्नाटक	608754	165325	72487
18	केरल	1189771	340755	60487
19	लक्षद्वीप	820	413	4
20	लद्दाख	38652	1126	1054
21	मध्य प्रदेश	327958	99819	41601

22	महाराष्ट्र*	5528704	1262409	185643
23	मणिपुर	13608	3139	648
24	मेघालय	25813	2311	411
25	मिजोरम	2249	265	234
26	नागालैंड	5577	518	325
27	ओडिशा	115128	10206	2269
28	पुदुचेरी	149919	92080	321
29	पंजाब	1101343	359114	308135
30	राजस्थान	1605560	446457	34806
31	सिक्किम	133388	19935	11508
32	तमिलनाडु	6866327	1228323	57622
33	तेलंगाना	323326	46694	5917
34	त्रिपुरा	154405	31877	5
35	उत्तर प्रदेश	4745181	890932	44737
36	उत्तराखंड	152273	41339	8532
37	पश्चिम बंगाल	1656145	463285	34828
	कुल	31408666	7171769	1054642

स्रोतः राज्य/संघ राज्यक्षेत्र पर्यटन विभाग

*दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए आंकड़ों का अनुमान उस वर्ष के अखिल भारतीय वृद्धि दर को उपयोग करते हुए लगाया गया है।

*****